भारत के पावर सेक्टर सुधारः ADB जैसे अर्तराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान अभी भी उस अव्यवस्था से हाथ धो रहे जो उन्होने बनाई

भारत मे उडिसा पहला एक ऐसा राज्य जिसने पावर क्षेत्र मे पूर्नगठन और सुधार किये।उडिसा बिजली सुधार कानून 1995 एक आप्रैल 1996 लागू हुये। उडिसा का राज्य बिजली बोर्ड को तोडा गया। वहा के संचार और वितरण तंत्र को उडिसा के ग्रीड कार्पोरेशन लिमिटेड को सुपूर्द कर दिया गया। जब ग्रीडको ने आपनी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत शेयर निजी कम्पनी बीएसईएस और एईएस के लिये विनिवेश कर दिये और उसके तुरत बाद आप्रैल 1999 मे ग्रीडकों वितरण के व्यवसाय का निजीकरण कर दिया।

पूर्नगठन प्रक्रिया विश्वबैंक, डीएफआईडी और कई अर्तराष्ट्रीय सलाहकारों की सहायता और निर्देशन मे की गई। कई ढॉचागत परिर्वतन हुये थे जैसे नियामक आयोग के निर्माण, उडिसा बिजली बोर्ड का निजीकरण आदि। विदेशी सलाहकारो के कहने पर 3 बिलीयन रूपये खर्च कर दिये गये लेकिन उपभोक्ता इसका कोई ठोस लाभ नही मिला। किये गये वादे मे परिर्वतन और क्षमता अभी होना बाकी है। राज्य सरकार ने 30 मई 2001 को छः सदस्यो की एक समिती श्री सोवन कानूनगो की अध्यक्षता मे बनाई जो व्यापक सुधार कार्यक्रमो का मूल्याकन किया। कानूनगो समिती की जॉच का परिणाम खतरनाक थे जिसमे मुख्य बातो पर प्रकाश डाला गया। (1) पॉच सालो बाद भी संचार और वितरण नुकसान 45 प्रतिशत पर ही चल रहा जो कि 21 प्रतिशत तक लाना था। (2) बिल कलेक्शन मे ठोस कमी 84 से 77 प्रतिशत हो गया है। (3) ग्रीडको का लोल 8100 से 33000 मीलियन रूप्ये हो गया जिसको उपभोक्ता से टैरिफ के रूप मे बसूला जा रहा है। (4) उत्पादन कीमत मे भारी बढोतरी हुई है।(5) एक तरफ टैरित मे 15 प्रतिशत प्रति साल बढोतरी हो रही है लेकिन दूसरी ओर पावर क्षेत्र 4000 मिलीयन रूप्ये प्रतिवर्ष का नुकसान मे जा रहा है। (6) जो चार कम्पनियॉ बीएसईएस और एएसईएस को सौपी गई थी उनके प्रबधन मे कोई सुधार नही आया। इन कम्पनियों ने ना तो कोई अतिरिक्त पूजी लाई ना ही कार्यरत पूजी को पर्याप्त नियोजन कर पाये जैसे सरकार से वादा किया वैसे।

पावर सेक्टर सुधार मे ADB की सहायता

उसी दौरान ADB ने आपनी भारतीय रणनिती के तहत केद्र व राज्य सरकार से वादा किया कि यदि वे निजी कम्पनियो को पावर सेक्टर मे आने देती है और राज्य के बिजली बोर्ड का पूर्नगठन करती है तो वह लोन की सहायता कर सकती है। 1996 मे बैक रणनिती बहुत ही सकुचित थी। बैक आपनी रणनिती के तहत पावर सेक्टर मे मुख्यरूप से आपनी सहायता की आड मे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राज्यमे पावर सबसेक्टर मे सुधार और उसमे भी राज्य बिजली बोर्ड का व्यवसायीकरण और उसका पूर्नगठन करना था।

अभी तक पूर्नवास, नई उत्पादन, सूद्दढीकरण, मौजूद वितरण और संचार तंत्र का विस्तार बैक की सहायता से राज्यो मे होगा उसको लिया गया है या पावर सेक्टर को अपनाना। इसलिये ADB की पावर सेक्टर रणनिती को केद्र मे रखा है।

- राज्य मे पावर सबसेक्टर मे सुधार और उसमे भी राज्य बिजली बोर्ड का व्यवसायीकरण और उसका पूर्नगठन करने हेतु प्रत्यक्ष अवसरो का प्रमोशन करना
- निजी और विदेशी निवेश का प्रचार, विशेषरूप से राज्यो मे पावर उत्पादन और वितरण जहॉ राज्य बिजली बोर्ड फानेन्शीयली मजबूत हो या फिर उसमे ठोस सुधार कर उस लायक बनाया जाये

- राज्य स्तर पर मोजूद तत्रं का पूर्नवास करना और नई तकनिको को उत्पादन मे लाना, जिस पर सहमति हुई है
- पावर टैरिफ को, थोक और खुदरा दोनो ही मे तर्कसगंत बनाना
- क्षमता और मॉग प्रबधन मे सुधार

ADB ने यह साफ कहा था कि वह नई उत्पादन विशेषरूप से निजी क्षेत्र की उत्पादन के विकास मे मुख्यरूप से सहायता करेगी। सरकारी क्षेत्र मे उत्पादन हेतु सहायता प्रतिबंधित रहेगी और राज्य बिजली बोर्ड के सुधार की शर्त के अनुसार।

सुधार कार्यक्रम

भारत मे ADB ने पावर क्षेत्र मे संचालन 1986 मे प्रारंभ किया जिसके तहत 24 सरकारी लोन केवल 21 परियोजनाओ के लिये कुल 4.6 बिजीयन डालर (लगभग भारत मे निवेश का 29 प्रतिशत)आगले बीस वर्षो के लिये था। इसमे 337 मिलीयन डालर लोन ADB के निजी क्षेत्र के तहत अतिरिक्त दिया गया था।

भारत मे ADB ने पहला लोन 1986 मे 150 मिलीयन डालर का नार्थ मद्रास थर्मल पावर प्लांट को दिया था जिसका उद्देश्य तमिलनाड राज्य बिजली बोर्ड के टैरिफ ढाचे को तर्कसगंत बनाना और आवासीय और कृषि उपभोग की छुट मे भारी कटौती करना था। 1996 मे ADB ने गुजराज राज्य बिजली बोर्ड को पुनःसचालन की योजना हेतु एक तकनिकी सहायता दी। उसके बाद 200 मे ADB ने निती और परियोजना 350 मिलीयन डालर लोन के साथ गुजरात पावर सेक्टर विकास कार्यक्रम हेतु पारित किया जिसके तहत गुजरात मे साफ पावर सुधार का प्रचार करना था। ADB ने 2001 मे मध्यप्रदेश को भी 350 मिलीयन डालर का लोन मप्र पावर सेक्टर विकास कार्यक्रम के तहत मप्र राज्य बिजली बोर्ड का पूर्नगठन हेतु दिया। 2002–03 मे ADB ने दो तकनिकी लोन आसाम को आपने राज्य बिजली बोर्ड का पूर्नगठन और नियामक आयोग की क्षमता बढाकर पावर सुधार कार्यक्रम के बढावा देने हेतु । ADB ने 2003 मे 250 मिलीयन का लोन ओर आसाम को पावर सेक्टर विकास कार्यक्रम के तहत सुधार कार्यक्रम को सहायता करने हेतु दिया।

इन तीनो राज्यो को ADB के, जनता संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम जिसका केद्र बिन्दु राजस्व सुधार, जनता सेक्टर सुधार, और सरकारी व निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु एक माहौल बनाना, तहत तकनिकी सहायता पहले दी जा चुकी थी।

1992 मे पावर सेक्टर दक्षता कार्यक्रम के लिये ADB ने 250 मिलीयन डालर का लोन दिया जिसमे कहा गया कि आगे राज्य बिजली बोर्ड मे निवेश पावर फाइनेन्श कार्पोरेशन के द्धारा होना चाहिये वो भी यदि जो राज्य लोन ले रहा उसने सुधार कार्यक्रम को अपनाया हो। 2002 मे 150 मिलीयन डालर का लोन इरादा राज्य बिजली बोर्ड मे निवेश जो संस्थागत सुधार मे प्रतिबद्धता दिखाये। ADB ने 2000 मे 250 मिलीयन डालर का लोन पावर ग्रीड कार्पोरेशन को पावर ग्रीड ट्रासंमिशन दो ट्रासंमिशन परियोजना बनाने हेतु दिया ताकि वो राज्य स्तर पर सुधार मे और भी मदद करे और पावर पूर्ति को जो राज्य सुधार नही कर रहे या प्रबंधन ठीक नही उनको रोक कर उस राज्य को करे जो अच्छा पैसा दे रहा हो और जिसने सुधार कार्यक्रम को आपनाया हो या आपनाने वाला हो। यह बनाया ही ऐसे गया था कि जिन राज्यो ने सुधार कार्यक्रम आपनाया है जिन्होने नही आपनाया है उनके बीच अतंर रहे। आगे कहते है कि सुस्त प्रबंधन वाले

राज्यो की वितरण सेवा बंद कर दी जायेगी लेकिन जिन राज्यो ने सुधार कार्यक्रम को लागू किया है उन राज्यो मे निवेश किया जायेगा। इस तरह से ADB जैसे अर्तराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान दण्डांभाव और सम्प्रभुता के साथ छोटे सबंधो और इसके सदस्यी देशो के सविंधान मे संघीय अवधारणा मे संचालित है।

इससे साफतौर पर समझ आता है कि ADB उस दौरान पावर सेक्टर सुधार पूरी ताकत से (इसके सदस्य देश के सविधान मूलभूत नियमो को लाघकर भी) ला रहा था । उसकी रणनिती थी कि उसका निवेश ठोसरूप से संस्थागत और नियामक आयोग मे अनुचित राष्ट्रीय पावर निती के अर्तगत राष्ट्रीय कानून के द्धारा राज्य स्तर पर परिर्वतन करे। और वो उसने किया भी।

बिजली कानून 2003ः सुधार अवतार

जुलाई 1998 मे बिजली नियामक आयोग कानून लागू हुआ और केदिय बिजली नियामक आयोग (मुख्यरूप से केद्र और अर्तराज्य टैरिफ को तर्कसगंत बनाने हेतु) और कई राज्य बिजली नियामक आयोगो का गठन हुआ। आगे जैसे कि यह कानून मे पावर सेक्टर पूर्नगठन का कोई नियम नही था, राज्य जो व्यापक सुधार कार्यक्रम कर थे उनको आपने खुद के बिजली सुधार कानून (आन्ध्राप्रदेश, हरियाणा,, कर्नाटका, उडिसा और उत्तरप्रदेश) की जरूरत है और ADB ने गुजरात, और मध्यप्रदेश जैसे राज्यो को ऐसे कानूनो को बनाने की प्रक्रिया मे मदद की ।

केद्रिय सरकार ने भी 1996 मे राज्यो के साथ सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम,जिसमे न्यूनतम कृषि टैरिफ बेंचमार्क आधी पूर्ती कीमत, निजी भागीदारी को प्रोत्साहन, 100 प्रतिशत मीटर, और नियामक आयोग का गठन किया। 2001 मे ऊर्जा संरक्षण कानून लागू किया गया जो ऊर्जा दक्षता और मार्गे का प्रबंधन को बढावा देना था। और आखिरकार भारतीय संसद दिसंबर 2002 मे स्थायी समिती की रिर्पोट ऊर्जा पर आने के बाद, दोनो सदनो ने बिजली अधिनियम मई 2003 लाया और कानून 10 जून 2003 से लागू कर दिया गया। जिसके प्रस्तावना मे ही लिखा है कि यह कानून उत्पादन, वितरण, प्रषारण, बिजली का उपयोग और व्यापार, एवं सामान्य तौर पर बिजली उधोग के विकास हेतु अनुकूल उपायो, उसमे प्रतिस्पर्धा को बढावा, सभी क्षेत्रो मे बिजली की पूर्ती और उपभोक्ताओ का संरक्षण, बिजली टैरिफ का तर्कसंगत बनाना, छूट से सबधित नितियो को पार्दशीता सूनिश्चित करना, केद्रिय बिजली प्राधिकरण का संविधान, नियामक आयोगो, और आपीलीय न्यायाधिकरणो और उससे जुडे संस्थानो का गठन किया।

नये बिजली कानून पावर सेक्टर सुधार हेतु गंगा बहा दी और विश्वबैंक और एडीबी जैसे दोनो अर्तराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानो निजी कम्पनिया, और क्रेडिट रेटिगं ऐजेन्सीया ने भी स्वागत किया। ADB ने आपनी मूल्याकन दस्तावेज मे भी लिखा राष्ट्रीय सुधार प्रक्रिया मे यह एक महत्वपूर्ण कदम है इसे कानून का अधिनियमन कहा जाता है। इसका मुख्य उद्धेश्य पावर सेक्टर मे प्रतियोगिता लाना, सभी को बिजली देना, पावर सेक्टर मे दक्षता का विकास और त्वरित हेतु सक्षम रूपरेखा बनाना। वही रिर्पोट दुसरी तरफ एडीबी और विश्बबैंक उनका समान फोकस क्षेत्रो का पूर्नगठन ने सरकार को प्रभावित कर ठोस सुधार 2003 बिजली कानून के तहत लागू करवाया।

ADB का पावर सेक्टर सुधार लोन कई ओर राज्यो को भी दिया गया जैसे उत्तराचंल, हिमाचल,और बिहार पावर सेक्टर का बिखेरने के साथ ही कार्पोटाईजेशन, पूर्नगठन वैधानिक बनाया जा रहा है,। गुजरात मे 2004 से 2008 के मध्य तीन लोन निजी कम्पनियों नये पावर प्लाट बनाने और चलाने हेतु दिये गये। (1) टोरेन्ट पावर जनरेशन को 54 मिलीयन डालर जो बाद मे निरस्त कर दिया गया। (2) गुजरात पगुठान एनर्जी कार्पोरेशन प्रावेट लिमिटेड को बिंड परियोजना हेतु 104 मिलीयन डालर का लोन (3) टाटा पावर को मुन्द्रा उल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट हेतु 450 मिलीयन डालर लोन दिया गया। सरकार और निजी कम्पनियो

की भागीदारी के माडल को विकसीत करने के लिये ADB ने 2011 मे 100 मिलीयन डालर का लोन गुजरात सोलर पावर ट्रासंमिशन परियोजना को दिया। ADB ने आपनी मल्टी ट्राचं फाइनेन्शीग फेसिलिटी लोन अर्तगत 2007 मध्यप्रदेश पावर सेक्टर दो निवेश कार्यक्रम तहत नई प्रषारण लाइन को बनाने और सुधार कार्यक्रम को जारी रखने उदाहरण के लिये फाइनेन्शीयल पूर्नगठन योजना, नियामक और कानूनी शिकायत निवारण मे सूधार करने हेतु। ADB ने दोबारा आपनी मल्टी ट्राचं फाइनेन्शीग फेसिलिटी लोन अर्तगत मध्यप्रदेश एनर्जी दक्षता सुधार निवेश कार्यक्रम तहत हाई वोल्टेज वितरण तत्रं के निमार्ण के नई वितरण कम्पनी डिस्कोम 400 मिलीयन लोन 2011 मे दिया। ADB ने 2009 मे 200 मिलीयन का लोन आसाम पावर सेक्टर वृद्धि निवेश कार्यक्रम ताकि वहा 764 मिलीयन डालर का पावर सेक्टर 2014 मे निवेश की योजना साथ साथ बना सके।

ADB ने जलविधुत उत्पादन फेसिलिटी के निमार्ण मे हिमाचल मे साफ पावर विकास 800 मिलीयन डालर और उत्तराचल मे पावर सेक्टर निवेश कार्यकम हेतु 300 मिलीयन आपनी मल्टी ट्राचं फाइनेन्शीग फेसिलिटी के अर्तगत लोन दिया। अतंरिक रूप से प्रषारण तंत्र को बढाने हिमाचल साफ एनर्जी प्रषारण हेतु ओर राज्य को पावर सेक्टर सुधार के उद्धेश्यो को पाने हेतु क्षमता निर्माण भाग और नेशनल ग्रीड से लने हेतु हिमाचल को 350 मिलीयन डालर का लोन 2011 मे ADB द्धारा दिया गया। जलविधुत परियोजना के निमार्ण और वितरण एवं प्रषारण लाइन के विस्तार हेतु 2010 मे ।क्ठ ने बिहार को पावर सेक्टर सुधार कार्यक्रम के लिये 132 मिलीयन डालर का लोन दिया गया। विश्वबैक और एडीबी दोनो ने साथ बिजली कानून 2003 हवाला इसलिये मागा ताकि वे राज्य बिजली बोर्ड का पूर्नगठन करे और कार्पोटाइज को आनिर्वाय कर निजी सेक्टर के खिलाडियो का पावर सेक्टर मे ला सके। इसलिये ।क्ठ पावर सेक्टर सुधार कार्यक्रम मे एक पावर सेक्टर सुधार के लिये प्रतिबद्धता तर्कसगंत के रूप बिजली कानून का संर्दभ देता है। जिसके चलते जिम्मदारी सरकार और राज्य बिजली बोर्ड के उपर जाती ना कि लोन की शर्तो पर। पावर सेक्टर यूनियनो के द्धारा इस तर्क को काफी मजबूती से उठाया गया है। ऊर्जा पर स्थाई संसदीय समिती की अनुमति और कानून के सेक्सन 131 (2) (इक्क्तीसवी रिर्पोट 2002) पावर इन्जीनियर सगंठन ने आने कानूनी राय बहुत ही मजबूती से रखी है कि राज्य के उपर बिजली कानून 2003 के तहत अलग से उत्पादन वितरण और प्रषारण कम्पनिया बनाने कोई भी कानूनी कर्तव्य दबाव नही है। राज्य बिजली बोर्ड एक कम्पनी के रूप मे उत्पादन, वितरण और प्रषारण को आजांम देता रहेगा। जिसमे कम्पनी के पास वितरण लाइैसेस होगा और राज्य ट्रासमिशन यूटिलीटी जो कि मालिकाना उत्पादन सम्पति होगी। आगे राज्य सरकार केद्र सरकार से राज्य बिजली बोर्ड स्वयं को नियमित करने लिये सहमति ले सकती है।

मध्यप्रदेश राज्य बिजली बोर्ड यूनियनो ने पावर सेक्टर सुधार के दर्शन की ठोस समीक्षा की विशेषरूप से बिजली पर आपीलीय न्यायाधीकरण के जुलाई 2009 के निर्णय को ध्यान रखकर जिसमे उन्होने उठाया है कि बिजली कानून 2003 के नियमो के अर्तगत राज्य बिजली बोर्ड विछिन्न करना आनिर्वाय नही है।

प्रभाव

भारत के एनर्जी सेक्टर का एडीबी सेक्टर सहायता कार्यक्रम मल्यॉकन ने निचे दी गई कुछ बातो को खोजा। (1) ADB की राज्य स्तर पर उधार देने तरीके सही तरह से काम कर रहे है और भविष्य मे लोन हेतु इसे मॉडल के तौर पर उपयोग करना चाहिये। (2) पहले भी और बाद मे भी दोनो लोन लगातार तकनिकी सहायता राज्य कार्यक्रम को सफल बनाने मे महत्वपूर्ण थी (3) कार्पोटाईजेशन बनाम व्यापारिकरण का प्रस्ताव और राज्य की संस्थाओं मे वित निरंनतरता सिद्धात, और उपभोक्ता को अच्छी सेवा उपलब्ध करनवाना और सरकार गुणवत्ता मे काफी हद तक दक्षता मे सूधार वृद्धि

मुल्याकन रिर्पोट आगे कहती है कि ADB की सहायता ने बिजली की सबसे कमजोर लींक काफी केद्रित किया है जो कि राज्य बिजली बोर्ड है। इनको सबसे ज्यादा नितियो से सामना करना पडा है जो भारत को आनाज मे अत्मनिर्भर बनाने हेतु गरीबो का जीवनयापन मे सुधार और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिये बनाया गया था। यह अभी भी देश का सबसे कमजोर हिस्सा है। और ADB ने मध्यप्रदेश को ओर मजबूत करने हेतु 2007 मे लोन और उत्तरांचल को 2006 मे लोन देते समय इशारा करते हुये कहा था कि हमारे लिये अब भी लोन दना प्रासंगिग है। यह अध्ययन अतं मे कहता है कि ADB कीा 1996 मे नितीयो मे तबदिली आपनने से परिणास्वरूप वास्तविक सीधे और टिकाउ प्रभाव हुये है (1) टैरिफ के पूर्नगठन के साथ वित पूर्नगठन भी एक साथ किया, साथ ही कम किमत ने छुट की जरूरत को कम किया। इसका मतलब पवार क्षेत्र को कम पूजी की जरूरत और सामाजिक क्षेत्र के लिये ज्यादा पूजी उपल्बध।

एक नई संस्था जो आसाम पावर सेक्टर सुधार कार्यक्रम के अर्तगत बनाई गई थी उसकी निरंतरता की चिंता दिखाने के आलावा और कुछ नही था। रिर्पोट मे कुछ भी नही था जो कि इशारा करे विछिन्न संस्थाओं की ओर कि यह सचमुच एक समस्या है।

क्रिसील लिमीटेड और इन्वेशमेन्ठ इन्फारमेशन एवं केडिट रेटीग ऐजेसी ने आपनी राज्य बिजली बोर्ड की 2006 मे समीक्षा मे कॉफी नियत्रण और नोट किया है। (1) राज्य बिजली बोर्ड ने कैश एकत्रित करने काफी इजाफा किया है उसके साथ ही छुट मे भी भारी कमी आई है।(2) पूर्ती की किमत निहीत हो चुकी है।(3) राज्य बिजली बोर्ड व्यापार की प्रक्रिया मे उल्लेखनीय व्यापारीकरण हुआ है। हालाकि तकनिकी और नान तकनिकी नुकसान अभी भी उच्च स्तर पर ही बरकरार है, उपभेक्ता मीटर पूरे नही हुये है, केश संग्रहण मे उल्लेखनीय बदलाव आये है। टैरिफ भराई अभी भी काफी राज्यो मे पूरा नही हुये। पावर उत्पादन मे कुल तकनिकी और व्याापरीक नुकसान 50 प्रतिशत की रेंज मे है। सेक्टर मे वित्तीय प्राथमिका की कमी के कारणउच्च तकनिकी नुकसान है, लम्बी कतार अदरूनी इलाको की जो उच्च ट्रासफार्मर नुकसान और खराब नोड नियत्रण को ओर बढा रहा है जो तत्रं पर अधिक भार डालता है।

पब्लिक सर्वीस इन्टरनेशनल ने मध्यप्रदेश और बिहार मे सूधार कार्यक्रमो पर दो अध्ययन किये हे। जिसके परिणाम ADB के उच्च दावो को खोखला बता रहे है।

मध्यप्रदेश पावर सेक्टर

मध्यप्रेदश मे पावर सेक्टर सुधार मध्यप्रदेश विधुत सुधार विधेयक 2000 से प्रारंभ हुआ जो जुलाई 2001 मे लागू हुआ। इस कानून ने ही मध्यप्रदेश राज्य विधुत बोर्ड के पूर्नगठन मिला। मध्यप्रदेश राज्य विधुत बोर्ड उत्पादन, कम्पनी, प्रषारण कम्पनी और तीन वितरण कम्पनी मे बाट दिया गया। मध्यप्रदेश राज्य विधुत बोर्ड अभी भी 58000 कर्मचारीयो का नियोजक था। मध्यप्रदेश राज्य विधुत बोर्ड और नई उत्तराधिकारी कम्पनी के बीच कार्यवाही और निर्वाह का करार हो गया था। 2006 मे पावर ट्रेडिग कम्पनी भी बनाई गई।

मध्यप्रदेश राज्य विधुत बोर्ड के पास कोई भी सम्पति नही थी, ना ही कोई आय को साधन था और मध्यप्रदेश राज्य विधुत बोर्ड के कर्मचारियो वित्तीय जिम्मदारी भी थी। फिर भी ये जिम्मेदारीया मध्यप्रदेश राज्य विधुत बोर्ड की बेलेंस शीट मे नही आया केवल फुटनोट के रूप मे ही दिखाया गया। कई सारी सुविधाऐ वापस ले ली गई जैसे काम कर मिली छुटियो को आप केश नही करवा सकते, छटटी मे ट्रेवल कनशेसन, घर का किराया, और पेन्शन खर्चा भी खतरे मे था।

कर्मचारियो की संख्या जो 1991.92 मे 97000 थी वो घटकर 2008 मे 48000 कर दी गई, यही सुझाव ADB ने दिये की कोई भी भर्ती होगी। रिटार्यड उम्र को 60 वर्ष से 58 वर्ष कर दी गई। इसके

परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य विधुत बोर्ड के कर्मचारियो पर भारी असर हुआ। बरकरार कर्मचारियो पर काम का भार और बढता दबाव, कर्मचारियो की औसत उम्र मे बढोतरी,कम कर्मचारी, विधुत सेवा की गुणवत्ता मे कमी, बहारी स्रोतो पर निर्भरता, कुछ हिस्सो पर निजीकरण के डोरे मडंराना आदि।

मध्यप्रदेश राज्य विधुत बोर्ड के यूनियनो से सामूहिक करारो को वापस ले लिया गया। मध्यप्रदेश उधोग संबध कानून के बहार विधुत को कर दिया गया, यहा तक कि उधोग मतभेद कानून के अर्तगत भी यूनियनस त्रिकोणीय बातचीत मे भी अनुमति नही दी गई। यूनियन ने ADB 2008 परियोजना पूर्ण रिर्पोट जिसमे कहा गया की कर्मचारियो का कोई भी मुदद्धा नही रह गया जो सुलझाया नही गया हो उस पर यूनियन भारी अपत्ति जताई। यूनियन ने ये भी मुदद्धा काफी जोर से उठाया कि कोई भी सलाह कर्मचारियो से किसी भी समय नही ली गई। ना ही कोई ADB से वित्तपोषित पावर सुधार परियोजना की जानकारी का उल्लेख किया गया था। ना ही यूनियनो द्धारा लिखे गये पत्रो का जबाब दिया।

मध्यप्रदेश राज्य विधुत बोर्ड के यूनियनो ने बिखरी नितियो की समिक्षा बुलाई गई और कई समस्याओ को उठाया गया जो लगातार पावर सेक्टर को तकलीफ दे रही थी अपव्ययी उत्पादन सेक्टर, महगी निजी पावर पर ज्यादा निर्भरता, बिखरी हुये तंत्र मे बढता खर्चा, अदक्षता और ज्यादा नाकरशाही, वितरण और प्रषारण मे सुधार ADB ने आपने लोन के द्धारा अनुदान से दी, उच्च टैरिफ मदभेद के कारण, परिणामस्वरूप जनता की नाराजगी और कर्मचारीयो को कठनाईयो का सामना करना पडता था।

पब्लिक सर्वीस इन्टरनेशनल की रिर्पोट की समिक्षा

भारतीय पावर सेक्टर असंभव नुखसो के द्धारा जानबूजकर खत्म और तोडा के लिये टटोला जा रहा है जो भारत के कुछ राज्यो मे दुर्भाग्यपूर्ण असफल हो गया और ये केवल सकंटपूर्ण स्थिति ही पैदा कर रहा था।पावर सेक्अर का निजीकरण भारत की गरीब समुदायो को कमजोर ही बनायेगा क्योकि इन निजी कम्पनियो द्धारा थोपे गये बिजली की किमत वे नही चुका पायेगे। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण गरीब के लिये बिजली केसाधन ओर दूर हो जायेगे।

बिहार राज्य विधुत बोर्ड का पूर्नगठन

पूर्नगठन की भगदौड मे बिहार सरकार ने शहरीय फ्रेन्चाइज मॉडल प्रदेश के चार शहरो मे प्रारंभ की जो कार्यवाही और निर्वाह के साथ साथ बिल और सग्रंहण का काम अगले 10 वर्षो के लिये करेगी। 2006 मे बिहार ने ग्रामीण फ्रेन्चाइजी मॉडल भी प्रारंभ कर दिया जो 325 11केवी निजी व्यवसाय को पालने वाली थी।

बिहार राज्य विधुत बोड मे सीाई कर्मचारियो की संख्या 1973 मे 40000 थी। अगले बीस सालो मे कर्मचारियो की संख्या 20000 तक कम हो गई और जनवरी 2010 तक कर्मचारीयो की संख्या घटकर 9000 हो गई। स्थाई कर्मचारियो के आलावा कम से कम 4000 अस्थाई कर्मचारी और 5000–6000 आनौपचारिक मजदूर जो 133 रूप्ये प्रतिदिन की मजदूरी पर पा रहे थे। कोई भी दूसरा लाभ उन्हे नही मिलता था।

बिहार राज्य विधुत बोड प्रषारण सेक्टर मे लगभग 3000 मजदूरो की भर्ती की गई जो जुनियर लाइनमेन और स्वीचबोर्ड कार्यवाहक के रूप मे काम कर रहे थे जिनको केवल 600 रूप्ये प्रतिमाह दिया जा रहा था। बिहार राज्य विधुत बोड के वितरण और प्रषारण क्षेत्र मे ऐसे लगभग 7000–10000 ओर निजी मजदूर कार्यरत है जो हर दिन रिपेरिगं और गडवडियो को देखते है। ज्यादातर आपनी मजदूरी उपभोक्ताओ की टीप निर्भर रहेते है। बिहार परियोजना का जब लोन करार हस्ताक्षर हुआ जब 15 जून 2011 को लगभग 9000 कर्मचारी मे से कवेल 7000 कर्मचारी को ट्रासंफर आदेश दिया गया था।

2011 मे बिहार राज्य विधुत बोड के पूर्नगठन के बाद लगभग 7000 कर्मचारी स्थाई रूप मे किसी ऐजेसी के अर्तगत कम से कम वेतन पर कई निजी कम्पनियो के वेतन पर काम कर रहे थे। जिनके साथ पूर्ति और वितरण का करार हुआ था। जो कि राज्य मजदूर विभाग की सलाहो और उनकी रिर्पोट के बहुत ही विरूध था।पूर्नगठित बिहार राज्य विधुत बोड मे यूनियनो को बिना किसी पूर्व सूचना और सलाह के कर्मचारियो और मजदूरो के लाभो और सेवाओ मे परिर्वतन कर दिया गया जो कि उधोग मतभेद अधिनियम सेक्शन 9 ए का पूरी तरह से उल्लघन था। जिन कर्मचारियो की मृत्यू हो गई है उसकी पूर्ती करने के लिये परिवार के सदस्य की भर्ती पर रोक 2013 से लगा दी गई हैं।

निम्न स्तर के कर्मचारियो के वेतन स्तर और बेन्ड मे भेदभाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। प्रबंधन स्तर के पद खाली ही रखे जा रहे थे जिसके परिणाम स्वरूप मौजूद प्रबंधन पर काम का बोझ बढता जा रहाथा। 2006 से पहले के पेन्शनधारी कर्मवारियो की छटवे वेतन आयोग के अनुसार सेवाओ, अन्य लाभ और समानता की मॉग का अभी भी समाधान नही हुआ। जबकि बिहार राज्य विधुत बोड के पूर्नगठन से पहले के कर्मचारिी और मजदूर बिहार राज्य सरकार की गॉरटी के तहत आपनी सेवा देने के बदले सभी लाभो का फायदा उठा रहे थे। लेकिन पूर्नगठन के बाद नई भर्ती को काई गॉरंटी नही दी जा रही है।

दूसरी ओर बिहार राज्य विधुत नियामक आयोग के 2008–09 और 2015–16 के टैरिफ आदेशो तीन स्तर पर जिसमे घरेलू उपभोक्ता और ग्रामीण उपभोक्ता मीटर भी शामील है, की तुलना करने पाया कि

- 1–50 यूनिट का उपभोग मे 61.5 प्रतिशत की भारी वृद्धि टैरिफ मे कर दी गई है।
- 51–100 यूनिट का उपभोग मे 54.8 प्रतिशत की भारी वृद्धि टैरिफ मे कर दी गई है।
- 100 और 200 यूनिट के बीच मे उपभोग करने पर 37.7 प्रतिशत की भारी वृद्धि टैरिफ मे कर दी गई है।
- 201 और 300 यूनिट के बीच मे उपभोग करने पर 35.9प्रतिशत की भारी वृद्धि टैरिफ मे कर दी गई है।
- 300 से अधिक यूनिट का उपभोग करने पर 29.7 की भारी वृद्धि टैरिफ मे कर दी गई है।

उपरोक्त परिणाम साफ कहते है कि कम उपभेग करने वाले को ज्यादा टैरिफ देनो होगा जोकि अधिकतर गरीब हिस्सा है जिसमे ग्रामीण गरीब जिसको 61.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथे देना है।

इस अव्यवस्था के लिये कौन जिम्मेदार है ?

जैसे कि भारतीय पावर सेक्टर, कर्मचारी और उपभोक्ता लगातार ADB के नवउदारवाद नुख्से से परेशान है। आगे भी सुधार कार्यक्रम को और शार्प करने का काम ADB ने लोन ग्रान्ट और तकनिकी के द्वारा कुल मिलाकर लगभग 12014 मिलीयन डालर 2016 के अंत तक सहायता दे रहा है। जो कि ADB के कुल निवेश का लगभग 32.2 प्रतिशत है। उसके बावजूद ADB ओर भी निवेश के लिये तैयार है। ADB ने पूर्णरूप से इस अव्यवस्था की जिम्मदारी भारत की विकास रणनिती पर थोप दी है।

पावर सेक्टर सुधार का दबाव ADB ने पहले 1990 से दे रही थी, नई आर्थिक निती मे भारत सरकार की मदद और उसके बाद आपनी देश भागीदरी रणनिती के रूप मे दीर्घकालिक आर्थिक और वित्तीय मॉडल

को स्थापित किया। 2003 से ADB के सुधार नुख्से भारत की पॅचवर्षीय योजना से देश की विकास रणनिती के रूप मे मेल खाने लगी। वर्तमान 2013–2017 की देश की रणनिती के तहत ADB कहती है कि भारत की बॉरहवी पॅचवर्षी योजना ने ADB के आगे के पॉच वर्षो की कार्यवाही के लिये संदर्भ दिया है। यह उनके गैरजिम्मेदारी और राजनैतिक अविवेकपूर्णता का सबूत देता हैं जो हमेशा ऐसे ही बोलते है। 2007 मे आपनी मूल्याकन रिपोर्ट मे टिप्पणी करते हुये कहा है कि कार्पोटाइजेशन उनको ही लाभ पहुचा रहा है जिन्होने सामान्य तौर पर निजीकरण को लिया। आगे ADB कहती है कि राष्ट्रीय सुधार विरोधी आन्दोलनो ने सही परिणाम को नजरआदांज कर दिया है। भारतीय विकास मॉडल को अपनाये ना कि किसी बहारी ऐजेसियो के सुधार कार्यकमो और उनके प्रभावो को बढावा दे। इसलिये ADB ने खुद को इस अव्यवस्था से दूर कर लिया जो कि उसने ही थोपा था और खुद ने ही छुटकारा ले लिया है।